राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

कमांकःराम/भू.अ./परीक्षा/प–242/12/ 11576 दिनांक 1-8-2012

विज्ञप्ति

समस्त संबंधित को सूचित किया जाता हैं कि आगामी पटवार परीक्षा (विभागीय) दिनांक 21–8–2012 से आरम्भ होगी जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :–

दिनांक			समय	विषय
1.	21–8–12	मंगलवार	10 A.M. से 1 P.M. तक	लैण्ड रेकार्ड रूल्स (भू.अ. नियम)
2.	22–8–12	बुधवार	10 A.M. से 1 P.M. तक	तैयारी कागजात
3.	23–8–12	गुरूवार	10 A.M. से 1 P.M. तक	रेवेन्यू लॉ (भू–राजस्व विधियॉ)
4.	24–8–12	शुक्रवार	10 A.M. से 1 P.M. तक	सर्वे थ्यौरी (सर्वे सैद्धान्तिक)
5.	25–8–12	शनिवार	प्रातः 10 बजे से सम्पन्न होने तक	सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)
––	26–8–12	रविवार	अवकाश	–––––
6.	27–8–12	सोमवार	10 A.M. से 1 P.M. तक	कार्मिक व वित्तीय प्रबन्धन (PERSONNEL & FINANCIAL MANAGEMENT)
7.	28–8–12	मंगलवार	10 A.M. से 11.30 A.M. तक	एल.आर.सी. (LRC)
8.	28–8–12	मंगलवार	3 P.M. से 4.30 P.M. तक	मापगणित (प्लेन मेन्स्यूरेशन)
9.	29–8–12	बुधवार	10 A.M. से 11.30 A.M. तक	सामान्य राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना (GENERAL POLITICAL & ADMINISTRATIVE STRUCTURE)
10.	29–8–12	बुधवार	3 P.M. से 4.30 P.M. तक	लोक प्रशासन, प्रबन्धन एवं प्रभावी सम्प्रेषण (PUBLIC ADMINISTRATION, MANAGEMENT & EFFECTIVE COMMUNICATION)
11.	30–8–12	गुरूवार	प्रातः 10 बजे से सम्पन्न होने तक	सर्वे प्रेक्टिकल

राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियमावली 1957 के नियम 282(5) के अनुसार निम्न श्रेणी के उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें :–

जो अभ्यर्थी पटवार परीक्षाओं में दो परीक्षाओं में असफल रहे हो, अभ्यर्थी व पटवारी जो तीन परीक्षाओं में असफल रहे है को किसी पटवार परीक्षा में फिर बैठने की अनुमति नहीं हैं। परन्तु अभ्यर्थी व पटवारी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के क्लाज 37–क व 37–ख में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं को पटवार परीक्षा पास करने के लिये चार अवसर देय हैं।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 9 अगस्त , 2012 हैं। आवेदन पत्र की पूर्ति कर दिनांक 9–8–12 तक निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना हैं :–

पटवार परीक्षा के आवेदन पत्र के प्रपत्र प्रशिक्षणार्थी उनसे संबंधित शाला के प्रधानाचार्य से प्राप्त कर शाला के प्रधानाचार्य,ए.पी.आर.टी.टोंक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगें। परीक्षा शुल्क आवेदन पत्र के साथ रूपये 50/– (अंके पचास रूपये) के अनुसार चालान द्वारा राजस्व मण्डल के खाते में " मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएें , 60–अन्य सेवाऐं , 800–अन्य प्राप्तियां , (17) राजस्व मण्डल द्वारा परीक्षाऐं " में जमा कराई जायेंगी । अनु.जाति/ अनु. जनजाति के उम्मीदवारों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। समस्त उम्मीदवारों द्वारा अंक तालिका शुल्क रूपये 25/–(अंके पच्चीस रूपय) उपरोक्त मद में चालान द्वारा जमा कराये जायेंगे तथा चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2008 से चयनित जो पूर्व में वर्ष 2010 में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है व परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी शेष है वे आवेदक गृह जिलें के जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र भरकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अनुसूचित जनजाति के आवेदक होने के कारण परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाई जानी है किन्तु अंकतालिका शुल्क रूपये 25/–(अंके पच्चीस रूपय) उपरोक्त अंकित मद में चालान द्वारा जमा कराये जायेंगे तथा चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी। आवेदकों को पटवार पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र का प्रपत्र सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैं।

. . . 2

<u>निर्धारित अंतिम दिनांक 9 अगस्त , 2012 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त योग्य होंगे और इसके लिये पृथक से सूचना नहीं भेजी जायेगी।</u>

<u>जिला कलक्टर प्राप्त हुये आवेदन पत्रों का प्रमाणीकरण करके सचिव (भू.अ.), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को दिनांक **13 अगस्त, 2012** तक अनिवार्य रूप से विशेषवाहक के साथ भिजवा देंगें।</u>

पटवार परीक्षा (विभागीय) के लिये **<u>सर्व उददेशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक में परीक्षा केन्द्र होगा</u>** जिसमें उपरोक्त प्रकार की श्रेणी के उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे । योग्य उम्मीदवारों के रोल नं. जिला कलेक्टर, टोंक को राजस्व मण्डल द्वारा परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व भिजवा दिये जायेंगे । अतः समस्त योग्य उम्मीदवार परीक्षा केन्द्र (सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक) से प्रवेश–पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त करें।

जिला कलक्टर, टोंक राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियमावली, 1957 के नियम 282(8) के तहत् परीक्षा समिति का गठन करेंगें व मण्डल को सूचित करेंगे।

(हेमन्त शेष)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।

कमांकः राम/सम/ 11577-618 दिनांक 1-8-2012

प्रतिलिपि :–

E-mail (1) जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान) को प्रेषित हैं। कृपया सम्बन्धित उम्मीदवार से आवेदन पत्र की पूर्ति करवायी जाकर व प्रमाणीकरण पश्चात् दिनांक **13 अगस्त, 2012** तक आवश्यक रूप से विशेष वाहक के साथ मण्डल को भिजवाने की व्यवस्था करावें। (मय एक अतिरिक्त प्रति के नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु) (सलंग्न –आवेदन प्रपत्र –1)

E-mail – (2) निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।

E-mail – (3) मेनेजिंग डायरेक्टर, आर.के.सी.एल., 7–ए झालाना इन्सटिटूशनल एरिया, आर.टी.ओ. के पीछे, जयपुर 3020042 को मण्डल के ई–मेल पत्र कमांक राम/भूअ/परीक्षा/प–235/11/ 3065–68 दिनांक 22–3–12 के संदर्भ में एवं दिनांक 27–7–2012 को दूरभाष पर हुई वार्ता के सम्बन्ध में प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त प्रशिक्षार्थियों/परीक्षार्थियो के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करावे लेवे कि सभी के रजिस्ट्रेशन हो चुके है। जिससे परीक्षा से कोई प्रशिक्षणार्थी/परीक्षार्थी वंचित नहीं हो सके।

(E-mail) द्वारा जिला कले. टोंक – (4) प्रधानाचार्य, सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक। समस्त प्रशिक्षणार्थियों का आर.के.सी.एल. द्वारा आई.टी. विषय की परीक्षा देने हेतु पंजियन कर लिया गया है अथवा नहीं ? इसकी आप अपने स्तर पर भी जांच कर लेवे। आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने हेतु विशेष वाहक भिजवाए।

(5) श्री ....
....
....
को प्रेषित कर लेख हैं कि गृह जिले के जिला कलक्टर को दिनांक <u>**9 अगस्त, 2012**</u> तक आवेदन पत्र मय अंकतालिका शुल्क के प्रस्तुत करें ।

(हेमन्त शेष)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।